"प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021"

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

| वादी | ब ना म | प्रतिवादी |
|---|---|---|
| बेथीलाल पुत्र चेतराम जाति जाट | | राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी |

राजस्व वाद–पत्र = वाद रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्वि बाबत

**वाद–पत्र नम्बर** 268 / 2021 **GCMS No.** 2021/1029

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए |
|---|---|---|
| 21/12/24 | वादी श्री बेथीलाल पुत्र चेतराम जाति जाट निवासी रूपलपुरा द्वारा आज "प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत चारणवास में एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 ग्राम रूपलपुरा पटवार मण्डल चारणवास के खाता नम्बर 265 मे वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि बेथी पु चेतराम दर्ज है, जो अशुद्व है। वादी का शुद्व नाम बेथीलाल पुत्र चेतराम है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्व प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. 200000675629 आधार नम्बर 8438 6697 0667 मतदाता पहचान पत्र – अन्य दस्तावेज – की छाया प्रति प्रस्तुत की है। इस संबंध में हल्का पटवारी चारणवास भू.अ.नि. जिलिया एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्व किये जाने की अनुशंषा की है। अतः वादी का वाद–पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्व प्रविष्टि [illegible] के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री [illegible] किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] कम होकर दाखि[illegible]तर हो। | 1112-1114 |

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2022.01.31 17:11:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)